वित्तीय स्वीकृति

संख्या-8/2017/267/52-3-17-बजट(01)/17

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, □□□□: दिनांक 08 मार्च, 2017

विषयः-वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों में नवसृजित पदों के सापेक्ष नियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु पुर्नविनियोग द्वारा धनराशि स्वीकृति किये जाने के संबंध में। (3□ □□□□□□)

□□□□,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-4299/□0□0□0□□0-52/□□□/□□□- प्रा0/2016-17, दिनांक 15.2.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों में नवसृजित पदों के सापेक्ष नियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु कुल प्राविधानित समस्त धनराशि रू0 320.00 लाख स्वीकृत कर आपके निर्वतन पर रखी गयी थी।

2. उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 320.00 लाख के सापेक्ष आपके द्वारा 0 251.33 □□□ □□ व्यय किया जा चुका है। 146 □□□□□□या स्तर के स्थाई मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों को अनुदान मद में प्राविधानित धनराशि रू0 200000ण्00 लाख के सापेक्ष संभावित बचतों से राज्य सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों में नवसृजित पदों के सापेक्ष नियुक्त शिक्षकों के वेतन के भुगतान हेतु 0 30,00,000/- (रू0 तीस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन पुनर्विनियोग कर स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

2- राज्य सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों में नवसृजित पदों के सापेक्ष नियुक्त शिक्षकों के वेतन का ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त स्वीकृत धनराशि सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र माह मार्च, 2017 की समाप्ति पर उपलब्ध कराया जायेगा।

4- □□□□□ □□ □□□□ (एलाॅॅटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक-2202- सामान्य शिक्षा-3□ □□□□□□-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800- अन्य व्यय-03-अरेबिया पाठशालाओं को अनुदा -31-□□□□□ □□□□-सामान्य (□□□) □□ □□□ डाला जायेगा एवं धनराशि लेखा शीर्षक-2202- सामान्य शिक्षा आयोजनागत -01- प्रारम्भिक शिक्षा-800- अन्य व्यय - 11-146 नये आलिया स्तर के स्थाई मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों को अनुदान-31- □□□□□ □□□□-सामान्य (□□□) से पुर्नविनियोग द्वारा स्वीकृत की □□□□

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0-आर0□0-536-□-11-170/□□-17, दिनांक 06 मार्च, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
□□□

संख्या-267(1)/52-3-17-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-□□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□

2-□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□

3-कोषाधिकारी, ज□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, □0प्र0 □□□□

4-रजिस्ट्रा , □0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□ □□□, □□□□

5-वित्त (ई-11) □□□□/वित्त (आ□-व्ययक) □□□□-1(02 प्रतियों में)/□□□□□ □□□□-3 □□□□ □□□□/गार्ड फ□□□

6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

आज्ञा से,

(□□□ □□□)
संयुक्त सचिव

1- □□ □□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।